

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 जनवरी 2023—पौष 16, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2023

क्र. एफ-ए-3-02-2017-1-पांच-(72).—मध्यप्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19, सन् 2017) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम 2017, के नियम, 109क और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-19-2017-1-पांच (28), दिनांक 24 जून, 2017 एवं क्रमांक एफ-ए-3-21-2017-1-पांच(30), दिनांक 24 जून, 2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना एफ-ए-3-02-2017-1-पांच (46), दिनांक 16 मई, 2018, अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-02-2017-1-पांच (48), दिनांक 20 जून, 2019, अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-02-2017-1-पांच (15), दिनांक 9 फरवरी, 2022 तथा अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-02-2017-1-पांच (32), दिनांक 14 जून, 2022 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को कॉलम (3) में उल्लिखित उनके पदनाम के साथ कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र (क्षेत्रीय अधिकारिता) के लिए अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करती है. सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 109क के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित अपीलीय प्राधिकारी की समस्त शक्तियों एवं प्रदत्त या अधिरोपित समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, यथा:—

सारणी

अ. क्र.	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्र (क्षेत्रीय अधिकारिता/ संयुक्त आयुक्त अपील के क्षेत्र में शामिल क्षेत्र)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री पी. के. सिंह	राज्य कर, संयुक्त आयुक्त, कार्यालय, परिक्षेत्रीय अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, परिक्षेत्र-भोपाल.	ग्वालियर संभाग-01, ग्वालियर संभाग-02, तथा एन्टी इवैजन-ब्यूरो ग्वालियर से संबंधित अपील प्रकरण.

(1)	(2)	(3)	(4)
2	श्री आनंद भार्गव	राज्य कर, संयुक्त आयुक्त एवं अपीलीय प्राधिकारी, भोपाल संभाग.	भोपाल संभाग-01, भोपाल संभाग-02, तथा एन्टी इवेजन-ब्यूरो भोपाल से संबंधित अपील प्रकरण.
3	श्री आर. के. सलूजा	राज्य कर, संयुक्त आयुक्त एवं अपीलीय प्राधिकारी, इंदौर संभाग-02.	इंदौर संभाग-02, उज्जैन संभाग.
4	श्री पी. के. पाण्डे	राज्य कर, संयुक्त आयुक्त, छिन्दवाड़ा संभाग.	छिन्दवाड़ा संभाग, जबलपुर संभाग-01 जबलपुर संभाग-02 तथा एन्टी इवेजन ब्यूरो जबलपुर से संबंधित अपील प्रकरण.
5	डॉ. धर्मपाल शर्मा	राज्य कर, संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय इंदौर.	इंदौर संभाग-01, खण्डवा संभाग तथा एन्टी इवेजन ब्यूरो इन्दौर-ए एवं बी से संबंधित अपील प्रकरण.
6	श्रीमती इन्दु जैन	राज्य कर, संयुक्त आयुक्त, मुख्यालय, इंदौर.	इंदौर संभाग-03, रतलाम संभाग.
7	श्री सपन कुमार सोनटके	राज्य कर, संयुक्त आयुक्त, सागर संभाग.	सतना संभाग, सागर संभाग तथा एन्टी इवेजन ब्यूरो सतना से संबंधित अपील प्रकरण

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2023

क्र. एफ-ए-3-02-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-02-2017-1-पांच-(72), दिनांक 6 जनवरी 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 6th January 2023

No. F-A-3-02-2017-1-V (72).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017) read with Rule 109A of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 and notification No. F-A-3-19-2017-1-V(28), dated 24th June, 2017 and No. FA-3-21-2017-1-V(30), dated 24th June, 2017 of this department and in supersession of this department's Notification No. FA-2-2017-1-V(46), dated 16th May, 2018, Notification No. FA-3-02-2017-1-V(48), dated 20th June, 2019,

Notification No. FA-3-02-2017-1-V-(15), dated 09th February, 2022. and Notification No. FA-3-02-2017-1-V-(32), dated 14th June, 2022, the State Government, hereby, appoints the officers mentioned in column (2) of the table below with their designation mentioned in column (3) thereof as Appellate Authority for the area (territorial jurisdiction) Specified in Column (4). The Officer mentioned in Column (2) of the Table below with their designation mentioned in column (3) thereof as Appellate Authority for the area (territorial jurisdiction) specified in column (4), The officers mentioned in column (2) of the table shall exercise all the powers and perform all the duties conferred or imposed on the Appellate Authority mentioned in Clause (b) of sub-rule (1) of Rule 109A of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rule, 2017, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Name of the Officer (2)	Designation of the Officer (3)	Area (Territorial Jurisdiction) (4)
1	Shri P. K. Singh	Joint Commissioner of State Tax Office of the Zonal Additional Commissioner, Commercial Tax, Zone Bhopal.	Gwalior Division-01, Gwalior Division-02, And Appeal Cases related to Anti Evasion Bureau Gwalior.
2	Shri Anand Bhargav	Joint Commissioner of State Tax and Appellate Authority, Bhopal Division.	Bhopal Division-01 Bhopal Division-02, And Appeal Cases related to Anti Evasion Bureau Bhopal.
3	Shri R. K. Saluja	Joint Commissioner of State Tax, and Appellate Authority, Indore Division-2.	Indore Division-02, Ujjain Division.
4	Shri P. K. Pandey	Joint Commissioner of State Tax, Chhindwara Division.	Chhindwara Division, Jabalpur Division-01, Jabalpur Division-02, And Appeal Cases related to Anti Evasion Bureau Jabalpur.
5	Dr. Dharmpal Sharma	Joint Commissioner of State Tax, Head Office Indore.	Indore Division-01, Khandwa Division And Appeal Cases related to Anti Evasion Bureau Indore-A and B.
6	Smt. Indu Jain	Joint Commissioner of State Tax, Head Office Indore.	Indore Division-03, Ratlam Division.
7	Shri Sapan Kumar Sontake	Joint Commissioner of State Tax, Sagar Division.	Sagar Division, Sagar Division And Appeal Cases related to Anti Evasion Bureau Satna.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.